



## केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

### प्रलिस के लयि:

दलिली वशिश पुलसि प्रतषिठान (DSPE) अधनियिम, भ्रषुटाचार नविरण अधनियिम, भ्रषुटाचार नविरण पर संथानम समति

### मेनुस के लयि:

CBI और सफिरशियों से संबधति मुददे

## चरुा में कयों?

[कारुकि, लोक शकियत, कानून और नयाय संबधी संसदीय समति](#) ने कई राज्यों द्वारा CBI जाँच हेतु सामान्य सहमतवापस लयि जाने के मद्देनजर कहा है क [CBI](#) को नयितरति करने वाले मौजूदा कानून की 'कई सीमारें' हैं और इसकी स्थति, कार्यों एवं शक्तियों को परभाषति करने के लयि इसे एक नए कानून के साथ बदलने की आवशयकता है।

## केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI):

### परचिय:

- CBI की स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी और [यह दलिली वशिश पुलसि प्रतषिठान \(Delhi Special Police Establishment- DSPE\)](#) अधनियिम द्वारा शासति है।
  - इसकी स्थापना [भ्रषुटाचार नविरण पर संथानम समति \(1962-1964\)](#) के सुझावों पर की गई थी।
- वर्तमान में CBI भारत सरकार के कारुकि वभाग, कारुकि, पेंशन और लोक शकियत मंत्रालय के अधीन कार्य करती है।

### कारुय:

- भारतीय अधिकारियों, सार्वजनिक कषेतर के उपकरुमों, नगिमें और भारत सरकार के स्वामतित्व या नयितरण वाले नकियों के खलिया [भ्रषुटाचार नविरण अधनियिम](#) के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रषुटाचार, रशिवतखोरी तथा दुरुव्यवहार के मामलों की जाँच करना।
- राजकोषीय और आरुथकि कानूनों के उल्लंघन से संबधति मामलों की जाँच करना, अरुथात् नरियात एवं आयात नयितरण, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर वदिशी मुद्रा नयिमें से संबधति कानूनों का उल्लंघन।

- उदाहरण: [नकली भारतीय करेंसी नोट](#), बैंक धोखाधड़ी, [आयात-नरियात और वदिशी मुद्रा](#) उल्लंघन आदी।

### मुददे:

#### ◦ CBI बनाम राज्य पुलसि:

- कसी वशिश राज्य में CBI जाँच राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के अधीन है।
- एक राज्य में सतुतारूढ दल कभी-कभी वास्तवकि रूप से और कई बार कमजोर आधार पर CBI को मामलों की जाँच करने की अनुमति देने से इनकार कर देता है, जसिसे जाँच की सीमा सीमति हो जाती है।

#### ◦ ओवरलैपगि/दोहराव:

- राज्य पुलसि बलों के साथ वशिश पुलसि प्रतषिठान (CBI का एक प्रभाग) को उन अपराधों के लयि जाँच और अभयिोजन की समवर्ती शक्तियाँ प्रापुत हैं जो कभी-कभी मामलों के दोहराव एवं ओवरलैपगि का कारण बनते हैं।

### ◦ राजनीतकि हसुतकषेप:

- **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** ने CBI के कामकाज में अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप की आलोचना की है तथा इसे "अपने मालिक की आवाज़ में बोलने वाला पजिरे में बंद तोता" कहा है।

## संसदीय समिति के नषिकर्ष और सफ़ारिशें:

### ■ नषिकर्ष:

#### ◦ सामान्य सहमति की वापसी:

- 9 राज्यों ने CBI द्वारा किसी भी जाँच के लिये आवश्यक **सामान्य सहमति को वापस** ले लिया है, जिससे CBI को नषितरति करने वाला मौजूदा कानून अप्रभावी हो गया है।

#### ◦ रकित पद:

- **CBI में रकितियों को आवश्यक गति से नहीं भरा जा रहा है**, जिससे जाँच की गुणवत्ता में बाधा आ रही है जिससे अंततः एजेंसी की प्रभावशीलता एवं दक्षता प्रभावित हो रही है।
- CBI में स्वीकृत 7,295 पदों के मुकाबले कुल 1,709 पद खाली हैं।

- उच्च पदों, कानूनी अधिकारियों एवं तकनीकी अधिकारियों के संवर्गों में **ये रकितियाँ नषिविवाद रूप से मामलों की लंबितता को बढ़ाएगी, जाँच की गुणवत्ता को बाधित करेगी** जो अंततः एजेंसी की प्रभावशीलता एवं दक्षता को प्रभावित करेगी।

### ■ अनुशंसा:

#### ◦ CBI की स्थिति को पुनः परभाषित करना:

- समिति **CBI की स्थिति, कार्यों और शक्तियों को परभाषित करने** तथा इसके कामकाज में नषिपक्षता सुनषिचति करने के लिये सुरक्षा उपाय नषिधारति करने हेतु एक नया कानून बनाने की सफ़ारिश करती है।

#### ◦ रकितियों को तमिही आधार पर भरना:

- समिति **CBI नषिदेशक से सफ़ारिश करती है कि वह तमिही आधार पर रकितियों को भरने में हुई प्रगत की समीक्षा करें** और यह सुनषिचति करने के लिये आवश्यक उपाय करें कि संगठन में पर्याप्त स्टाफ है।

#### ◦ प्रतनषिकृता पर नषिभरता को कम करना:

- CBI को **प्रतनषिकृता पर अपनी नषिभरता को कम करना चाहिये** एवं पुलसि नषिरीक्षक तथा पुलसि उपाधीक्षक के पद पर स्थायी कर्मचारियों की भरती करने का प्रयास करना चाहिये।

#### ◦ वाद प्रबंधन प्रणाली: CBI को एक वाद प्रबंधन प्रणाली (Case Management System) नषिमति करनी चाहिये जो एक केंद्रीकृत डेटाबेस होगा, जिसमें इसके पास दर्ज शकियातों एवं उनके नषिटारे में हुई प्रगत का वषिरण होगा।

- पारदर्शता और जवाबदेही सुनषिचति करने के लिये **मामलों के आँकड़े तथा वार्षिक रषिपोर्ट** भी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशति करनी चाहिये।
- CBI के पास दर्ज मामलों का वषिरण, उनकी जाँच में हुई प्रगत और अंतमि परणाम **सार्वजनिक डोमेन** में उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

## UPSC सवलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

**प्रश्न.** एक राज्य-वषिष के अंदर प्रथम सूचना रषिपोर्ट दायर करने और जाँच करने के केंद्रीय अनूवेषण ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र पर कई राज्यों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। हालाँकि सी.बी.आई. जाँच के लिये राज्यों द्वारा दी गई सहमति रोके रखने की शक्ति आतृतकिक नहीं है। भारत के संघीय ढाँचे के वषिष संदर्भ में वयाख्या कीजयि। (2021)

**स्रोत: द हद्रि**

